

क्रम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

04/07

पत्रायली वेरा हुई। वकुलाय परिकल्प

रूप/अनुमति/पेटवली अधिकारी करे

/अन्य कार्य में वस्तु पत्रायली अतिव

कार्यवाही हेतु दिनांक 11/07/19

को पेश हो।

11/07

पत्रायली वेरा हुई। वकुलाय परिकल्प

रूप/अनुमति/पेटवली अधिकारी करे

/अन्य कार्य में वस्तु पत्रायली अतिव

कार्यवाही हेतु दिनांक 07/08/19

को पेश हो।

07/08

पत्रायली वेरा हुई। वकुलाय परिकल्प

रूप/अनुमति/पेटवली अधिकारी करे

/अन्य कार्य में वस्तु पत्रायली अतिव

कार्यवाही हेतु दिनांक 31/08/19

को पेश हो।

21/08

पत्रायली वेरा हुई। वकुलाय परिकल्प

रूप/अनुमति/पेटवली अधिकारी करे

/अन्य कार्य में वस्तु पत्रायली अतिव

कार्यवाही हेतु दिनांक 30/08/19

को पेश हो।

30/08

पत्रायली वेरा हुई। वकुलाय परिकल्प

रूप/अनुमति/पेटवली अधिकारी करे

/अन्य कार्य में वस्तु पत्रायली अतिव

कार्यवाही हेतु दिनांक 09/09/19

को पेश हो।

09/09

पत्रायली वेरा हुई। वकुलाय परिकल्प

रूप/अनुमति/पेटवली अधिकारी करे

/अन्य कार्य में वस्तु पत्रायली अतिव

कार्यवाही हेतु दिनांक 25/9/19

को पेश हो।

25/09

पत्रायली वेरा हुई। वकील वकील 1390

प्रारम्भिक डिप्टी के पालना में विरल विमानन

प्रान्तक प्राप्ति हुआ जो शामिल पत्रायली डिप्टी

मफ। वकील वकील ने प्रारम्भिक डिप्टी का कौल

तारीख हुकम

होना चाहिए करते हुए साफ शपथ सुनाया गया है
 कि जो वकील प्रतिपक्ष से No objection ले आकर
 पत्र प्रेषित किया जाय है) वकील श्री ने अज्ञेय
 प्रीतिष्ठ पत्र कि जो शामिल पत्रावली किंग बाण)
 वकील श्री शान्त कुमार वर्मा एवं श्री प्रतिपक्ष
 सं ७/ १५ का बहाल नाम पत्र किंग
 जो शामिल पत्रावली किंग बाण) वकील बादी
 ने विरहृत विभाजन प्रस्ताव से पूर्ण सहमति
 जाहिर करते हुए मुलाबिह विरहृत विभाजन
 प्रस्ताव अन्तिम डिडी जारी किये जाने का निवेदन
 किया जिस पर वकील प्रतिपक्ष ने भी सहमति
 जाहिर की।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध
 विरहृत विभाजन का अपलोडन किंग बाण।
 वकुलाप उमय पक्ष विरहृत विभाजन प्रस्ताव
 से सहमत है। अतः मुलाबिह विरहृत विभाजन
 प्रस्ताव प्रकरण में अन्तिम डिडी जारी की जाती
 है। विरहृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिडी का
 भाग रहेगा। मुलाबिह विरहृत विभाजन प्रस्ताव
 राजाव वेस्ट में अमल परामर्श है। पत्रावली
 केवल कुमार होकर नम्बर से कम है तथा
 बाद तहसील काबिल फफर हो। निर्वचि
 पुले न्यायालय में सुनाया गया।



28.9.18
 उपस्थित अधिकारी
 सुपुत्रा (सीकर)

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जादा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकदमा नं. **जयपुरा**
 व इजलास **श्री रणजीत सिंह RAS**
 ① **द्विवराम पुत्र हरसारास** बनाम ② **भागीरथ शमदेव**
 दावा तावत **कोषणा, तडास्मा, ल्याई निवेद्यान**

मुकदमा नं. **155** सन **2018**

यह मुकदमा आज वारते इनफिरसाल कतई रुबरु **श्री रणजीत सिंह, RAS**
 व हाजिरी **श्री राजेन्द्र प्रसाद कर्मा** मिनजानिव मुद्दई रुबरु **श्री वसन्त कुमार कर्मा**

मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि
मुताबिक किरतूत विभाजन प्रान्ता प्रकृश में अन्तिम
डिक्री जारी की जाती है। किरतूत विभाजन प्रान्ता अन्तिम
डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक किरतूत विभाजन प्रान्ता
राजस्व रेकर्ड में अमल परामद हो।

निज मुबलिय तावत
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद नशरह फीसदी जमाना आज की तारीख से
 तारीख अदायगी तक को अदा करें। **25** माह **09** सन **2019** को
 नसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

(**रणजीत सिंह**)
 उपखण्ड अधिकारी
 दस्तखत
खण्डेला (सीकर)
 ओहदा



	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सवूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			तावत इजराय हुकमनामा		
तावत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
गीजान			गीजान		

नोट: इस खर्चा के पारत व मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

* जाति बलाई निकासी मेहरो की दाणी तहसील
खण्डेला जिला सीकर (राज०)

—(वादी)

बनाम

- * प्रमथन हराम
③ लीजा देवी पत्नी महादेव
④ रामछिप्रान ⑤ रामकुंवार ⑥ वाराचन्द
प्रमथन महादेव ⑦ मोहन प्रमथन महादेव
⑧ रुजोड प्रमथन हरदेव
⑨/१ भंकरी देवी पत्नी गिरधारी
⑨/२ सोहन ⑨/३ धर्मवीर ⑨/४ मंगलचन्द
प्रमथन गिरधारी
⑨/५ प्रमथन उर्फ परमेश्वरी देवी पत्नी गिरधारी

रामान्त जाति बलाई नि० मेहरो की
दाणी तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

⑩ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला

— (प्रतिवादीगण)

(रणजीत सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

